"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2009—पौष 10, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-10/2006/1-सूअप्र.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.** –
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2009 कहलाऐंगे।
   (2) ये "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. **परिभाषायें.** – इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
   (क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाये ;
   (ख) 'समिति' से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा अनुमोदित एवं नामांकित चयन समिति;
   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अंतर्गत भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ड.) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5/25/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(ठ) "राज्य सूचना आयोग" से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005(क्र. 22 सन् 2005) की धारा 15 के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग;

(ड) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005(क्र. 22 सन् 2005) की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त।

3. **विस्तार तथा लागू होना.** – छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन. – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् –**

(1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मौलिक रूप से धारण करते हों;

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**–सेवा का वर्गीकरण, उनसे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।

परंतु शासन, समय–समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका. –**

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन से सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति द्वारा जो ऐसी सेवा को मौलिक क्षमता से धारण करते हों, जैसा कि अनुसूची–चार में विनिर्दिष्ट है;

(ग) ऐसे व्यक्यिों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक क्षमता से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) तथा खण्ड (ग) के अधीन, भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाये गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हे भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला, भर्ती का तरीका या तरीके और ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो आयोग, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किए गए सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जैसा कि वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें।

(5) सीधी भर्ती से भरें जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किये जायेगें। परंतु नियुक्ति प्राधिकारी इस हेतु एक चयन समिति गठित करेगा जो उक्त मापदंड या अन्य युक्तियुक्त प्रक्रिया शासन की सहमति से समिति द्वारा अपनाया जा सकेगा।

(6) भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधानों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश, लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.** – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.** – चयन/प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(i) आयु :–

(क) उसने विज्ञापन के प्रकाशन होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गो का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिक 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

नोट :– किसी भी अभ्यर्थी को एक या एक से अधिक बार छूट का लाभ देने के पश्चात भी शासकीय सेवा में उच्चतर आयु सीमा के लिए अधिकतम शिथिलता 45 (पैंतालीस) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विर्निदिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :–

(एक) ऐसे छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी, जो स्थायी/स्थानापन्न /अस्थायी/आकस्मिकता से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक को, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये,

(दो) ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से कोई पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों,कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी,

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक है उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थाई सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:–शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन के लिए, अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त (डिस्चार्ज) किया गया हो।

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक(सैनिक) हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:–शब्द "भूतपूर्व सैनिक"(सैनिक) से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 (छः) माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो, और किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु, अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो या जिसे अतिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक), जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों(मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त किया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक), जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया हो, और जिन्हे :–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं, जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हो;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो ।

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण कार्यकम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक है, उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण पति/पत्नी के उच्चतर जाति के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) नगर सेना के स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ट) विकलांग अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

टिप्पणी– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खंड (घ) के उपखंड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये हों, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात चयन के पूर्व अथवा पश्चात सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की जाती है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र बने रहेगें।

टिप्पणी— (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(ठ) उपर्युक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(ii) **शैक्षणिक अर्हताऐं.** — अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताऐं होनी चाहिए जो कि इससे अनुसूची–तीन में दर्शायी गई है।

(iii) **फीस.** — अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.** — अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन के लिए निरर्हता मानी जायेगी।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.** — परीक्षा/ चयन में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थ़ि को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.** —

(1) **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**— नियुक्ति प्राधिकारी, चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य होंगे :—

(क) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे।

(ख) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती.** —

(एक) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतराल से किया जावेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) चयन समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा किया जावेगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा राज्य शासन से समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जावेगा जिसमें कि उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार तीस प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं, वहां नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार पदों में आरक्षण रहेगा।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची. –**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है फिर भी जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हैं, तैयार करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों के नियुक्ति के संबंध में उसी क्रम में विचार किया जावेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) यह सूची, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति. –**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जावेगी जिसमें अनुसूची–चार के कालम (6) में उल्लिखित सदस्य होंगे।

परंतु, इस उपनियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतराल से की जायेगी जो सामान्यतया एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार रहेगी।

14. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता संबंधी शर्तें. –**

(1) समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों पर या उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप में) जैसा कि शासन द्वारा अनुसूची–चार के कालम (5) मे यथाविर्निदिष्ट किया गया है पूर्ण कर ली हो, तथा जो अनुसूची–चार के कालम (4) में उल्लिखित अनुसार विचारण के क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण.– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जावेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो तथा वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति विधिमान्य रहेगी।

15. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार किया जाना. –**

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। एक आरक्षित सूची भी होगी जो उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जायेगी।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड, ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी।

(3) चयन सूची की तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची–चार के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों को वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण. – ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया हो, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची. –**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कालम (3) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कालम 4 में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी ।

(2) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी।

(3) परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति. –**

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **परिवीक्षा.** – सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

19. **निर्वचन.** – यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.** – इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिस पर ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से, जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को, सीमित या कम करती है,

परंतु, कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृति.** – इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर या इसके पश्चात् इस संबंध में जारी किए गये आदेशों द्वारा आरक्षण का कोई खंड प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन और व्यावृति.** – इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ;

परंतु, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

अनुसूची – एक
(नियम 5 देखिये)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	+ ग्रेड–पे
1	2	3	4	5	6
1	निज सहायक	05	तृतीय श्रेणी	9300 - 34800	4300
2	सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर)	01	तृतीय श्रेणी	9300 - 34800	4200
3	सहायक ग्रेड-1	03	तृतीय श्रेणी	9300 - 34800	4300
4	सहायक ग्रेड-2	03	तृतीय श्रेणी	5200 - 20200	2400
5	डाटा एन्ट्री आपरेटर	02	तृतीय श्रेणी	5200 - 20200	2200
6	सहायक ग्रेड-3	04	तृतीय श्रेणी	5200 - 20200	1900
7	वाहन चालक	06	तृतीय श्रेणी	5200 - 20200	1900
8	भृत्य	12	चतुर्थ श्रेणी	4750 - 7440	1300
9	फर्राश / चौकीदार	01/01	चतुर्थ श्रेणी	4750 - 7440	1300
	योग	38			

अनुसूची – दो
(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

स.क.	पदनाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा के व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7
1	निज सहायक (शीघ्र लेखक)	05	100%	–	–	यह पद सीधी भर्ती/आयोग के कर्मचारियों/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा ।
2	सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर)	01	100%	–	–	यह पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा ।
3	सहा.ग्रेड–1	03	–	100%	–	पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने की दशा में पद प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा आधार पर भरा जा सकेगा ।
4	सहा.ग्रेड–2	03	–	100%	–	पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने की दशा में पद प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा आधार पर भरा जा सकेगा ।
5	डाटा एंट्री आपरेटर	02	100%	–	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर ।
6	सहा.ग्रेड–3	04	75%	25%	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर ।
7	वाहन चालक	06	100%	–	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर ।
8	भृत्य	12	100%	–	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर ।
9	चौकीदार	01	100%	–	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर ।
10	फर्राश	01	100%	–	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर ।
	योग	38				

अनुसूची – तीन
(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अर्हता

स. क्र.	पद का नाम	आयु		विहित शैक्षणिक अर्हताएं	समिति के सदस्य
		न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा		
1	2	3	4	5	6
1	निज सहायक (शीघ्र लेखक)	18 वर्ष	35 वर्ष	निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों – (1) हायर सेकेण्ड्री(10+2) परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा. (2) छ.ग. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या छ.ग. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। (3) निज सहायक के पद के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन में कम से कम 100 श.प्र.मि. की गति होना अनिवार्य है। (4) मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा प्रतिघंटा 10,000 शब्द डिप्रेशन की गति होनी चाहिए।	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य
2	सहायक प्रोग्रामर	18 वर्ष	35 वर्ष	स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था /बोर्ड से वेब एप्लीकेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा।	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य
3	डाटा एन्ट्री आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(1) हायर सेकेण्डरी(10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा हाईस्कूल (10वीं परीक्षा) उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण (2) छत्तीसगढ़ शासन के बोर्ड/मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा । (3) डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा । डाटा एण्ट्री में प्रतिघंटा 8000 शब्द डिप्रेशन की गति।	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य
4	सहायक ग्रेड–III	18 वर्ष	35 वर्ष	निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों – (1) हायर सेकेण्ड्री(10+2) परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा। (2) छ.ग. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या छ.ग. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा।	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य

5	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति(लाइसेंस) धारण करता हों।	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य
6	भृत्य/ चौकीदार	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य
7	फर्राश	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हों।	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य

अनुसूची – चार
(नियम 14 देखिए)

पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हताऐं एवं विभागीय पदोन्नति समिति का गठन

स. क.	सेवा का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5	6
	छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग सेवा	सहायक ग्रेड–1	अनुभाग अधिकारी	5 वर्ष	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य
		सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–1	5 वर्ष	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य
		सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2	5 वर्ष	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य
		भृत्य	सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य

टिप्पणी :–

सहायक ग्रेड–तीन के पद पर पदोन्नति के लिए वह भृत्य पात्र होगा जिसने वांछित योग्यता अर्थात् 10+2 अथवा 12वीं बोर्ड परीक्षा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण कर ली हो और जिसने 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो।

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009

क्रमांक एफ 2–25/2006/1–सूअप्र.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–25/2006/1–सूअप्र, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.